कार्यालय वनमण्डलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट म.प्र.

Telephone No. : (07632) 247044, 247487 Fax No. : (07632) 247487
E-mail : dfotnbghat@mp.gov.in, dfontbgt@yahoo.co.in

क्रमांक/मा.चि.1 / 2187 बालाघाट, दिनांक 7 /09/2018

प्रति,

मेसर्स धरमसी मोरारजी
केमिकल्स कम्पनी लिमि. मुम्बई (महॅाराष्ट्र)
वर्तमान पता – सी–1 फार्चुन डीलाईट
आर्दश नगर, होशंगाबाद रोड़ भोपाल (म.प्र.)

विषय :– बालाघाट जिले के उत्तर (सा.) वनमण्डल के वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर क्षेत्रांतर्गत वनकक्ष क्रमांक 1491 में रकबा 40.468 हैक्टेयर वनक्षेत्र पर बाक्साईड खनिज उत्खनन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि व्यपवर्तन का आनलाईन प्रस्ताव।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/DMCC-0001/2018 दिनांक 03.07.2018 एवं क्र. DMCC-0005/2018 दिनांक 28.08.2018

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा से लेख किया गया है कि 50–50 मीटर की दूरी पर अक्षांश–देशांश दर्शाते हुये मानचित्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है तथा मार्ग कक्ष क्रमांक 1491 में ही स्थित है एवं आवेदक कंपनी द्वारा दिनांक 22.07.2018 बीटगार्ड व वन विभाग के कर्मचारी की उपस्थिती में प्रस्तावित मार्ग का चिन्हांकन किया जाना उल्लेखित किया गया है।

प्रकरण में प्रस्तावित मार्ग में प्रभावित वृक्षों की गणना सूची प्रस्तुत किया जाने हेतु लेख किये जाने पर उपवनमण्डल अधिकारी बैहर के पत्र क्रमांक 1293/ दिनांक 30.08.2018 एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी के पत्र क्र. 638 दिनांक 28.08.2018 से लेख किया गया है कि प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर आने वाले वृक्षों पर चूने के पट्टे लगाये गये है, जिससे मार्ग स्पष्ट नहीं हो रहा है तथा मार्ग में लकड़ी की खूटी गढ़ाई गई है, बहुत दूर दूर पर है, जिससे मार्ग की लंबाई एवं चौड़ाई का स्पष्ट रूप से आंकलन नहीं किया जा सकता, जिसके कारण मार्ग में प्रभावि होने वाले वृक्षों की सही–सही गणना कार्य किया जाना संभव नहीं है। तथा आपके द्वारा दी गई मार्ग की जी.पी.एस. रीडिंग द्वारा भी मार्ग का स्पष्ट मिलान नहीं हो पा रहा है।

अतएव आपको पुनः लेख किया जाता है कि आपके द्वारा चिन्हांकित मार्ग का उपवनमण्डल अधिकारी/वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर की उपस्थिति में पुनः सीमांकन करते हुये मार्ग के दोनों ओर लकड़ी के खंबे इस तरह स्थापित करें की एक खंबे से दूसरे खंबे को आसानी एवं सुलभता से देखा जा सकें। जिससें मार्ग की स्थिति देखते ही मार्ग की लंबाई चौड़ाई सहजता के साथ स्पष्ट हो जाये, जिससे मार्ग की लंबाई, चौड़ाई में आने वाले वृक्षों का सुगमता के साथ आपके व्यय पर गणना कार्य कराया जा सकें। इसी प्रकार Non minable Area का भी लकड़ी के खंबों के माध्यम से सीमांकित किया जाये। ताकि Non Minable Area में आने वाले वृक्षों की की गणना सरलता से की जा सकें।

उपरोक्तानुसार सीमांकन, चिन्हांकन एवं वृक्षों का गणना कार्य वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर की उपस्थिति में पूर्ण कराये. जाने के उपरांत उनसे सीमांकन प्रतिवेदन एवं वृक्षों का गणना पत्रक प्राप्त होने के उपरांत ही अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्थल निरीक्षण की तिथी निर्धारित की जायेगी।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर वनमण्डल (सा.) बालाघाट

पृष्ठा.क्र./मा.चि.–1 /2188
प्रतिलिपि :–
बालाघाट, दिनांक 7 /09/2018

उप वनमण्डलाधिकारी, बैहर एवं परिक्षेत्र अधिकारी, पश्चिम बैहर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। विषयांकित प्रकरण के संबंध में प्रस्तावित मार्ग एवं Non Minable Area के संयुक्त सीमांकन हेतु आवेदक विभाग द्वारा संपर्क किया जाता है तो आप स्वयं अपनी उपस्थिति में संपूर्ण सीमांकन की कार्यवाही स्पष्ट रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें। तथा Non Minable Area एवं प्रस्तावित मार्ग में प्रभावित वृक्षों का गणना कार्य आवेदक विभाग के व्यय पर पूर्ण कर प्रतिवेदन तत्काल अपने स्पष्ट अभिमत एवं अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर वनमण्डल (सा.) बालाघाट

D:Sharad 2015 letter Genral Letter.doc347